संख्या- 191 /2024/ 1135 /चार-2024-1780656

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः **लखनऊः दिनांक 28 मार्च, 2024**

विषय- रामोत्सव - अयोध्या - 2024 के अन्तर्गत श्रीराम चरण पादुका यात्रा पर हुए अतिरिक्त व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 5334 /सं0नि0- 15(80)/2023-24, दिनांक 24 मार्च, 2024 के संदर्भ में अवगत कराना है कि रामोत्सव - अयोध्या - 2024 के अन्तर्गत श्रीराम चरण पादुका यात्रा हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार शासनादेश संख्या- 31 /2024/ 188 /चार-2024 दिनांक 12 जनवरी, 2024 द्वारा रू0 58.65 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि भारत भक्ति संस्थान, इंदौर द्वारा श्रीराम चरण पादुका यात्रा पर होने वाले व्यय रू0 19,30,000.00 एवं संस्कृति विभाग, उ0प्र0 द्वारा श्रीराम चरण पादुका यात्रा पर होने वाले व्यय रू0 39,35,000.00 अर्थात् रू0 58,65,000.00 (रूपया अट्ठावन लाख पैंसठ हजार मात्र) आहरित कर अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, अयोध्या को उपलब्ध करायी जायेगी।

2. तत्क्रम में निदेशालय के पत्र दिनांक 24 मार्च, 2024 द्वारा श्रीराम चरण पादुका यात्रा के अन्तर्गत कलाकारों के मानदेय हेतु रू0 9,32,000.00, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 द्वारा करायी गयी विभिन्न व्यवस्थाओं पर व्यय रू0 39,22,992.00 एवं भारत भक्ति संस्थान, इंदौर को प्रस्तावित सहयोग राशि रू0 17,62,885.00 तथा क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, चित्रकूट द्वारा किये गये व्यय रू0 2,36,034.00 अर्थात् कुल धनराशि रू0 68,51,911.00 का संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

3. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशालय के पत्र दिनांक 24 मार्च, 2024 द्वारा श्रीराम चरण पादुका यात्रा के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में रामोत्सव - अयोध्या - 2024 के अन्तर्गत श्रीराम चरण पादुका यात्रा पर हुए अतिरिक्त व्यय रू0 9,86,911/- (रूपया नौ लाख छियासी हजार नौ सौ ग्यारह मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) शासनादेश संख्या- 31 /2024/ 188 /चार-2024 दिनांक 12 जनवरी, 2024 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।

(2) शासनादेश दिनांक 12 जनवरी, 2024 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 58,65,000.00 के सापेक्ष संस्कृति विभाग, उ0प्र0 द्वारा करायी गयी विभिन्न व्यवस्थाओं पर हुए व्यय रू0 39,22,992.00 के आहरण के पश्चात् अवशेष समस्त धनराशि का आहरण अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, अयोध्या द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-92 के अधीन लेखाशीर्षक-2205- कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-21- रामोत्सव, अयोध्या-2023-24-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या- 191 /2024/ 1135 (1) /चार-2024-1780656, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, अयोध्या।
5- वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।